O/o. E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 39143
Date 29 DEC 2023
Addl.CE
SE
EE
Section

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

सी.आई.एन :— U40108CT2003SGC015820

कार्या :— कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)

क्रमांक :— 01—01/अ.प्र.कं./25/2023/6485 रायपुर, दिनांक 28 DEC 2023

(अपील प्र.कं. 25/2023)

श्री जी.एस. प्रशांत अपीलार्थी
रायपुर

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

—:: आदेश ::—

(दिनांक 28/12/23 को पारित)

अपीलार्थी श्री जी.एस. प्रशांत, रायपुर ने यह अपील जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)—दो, के निर्णय दिनांक 02.11.2023 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे" अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

(2) — प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :—

(I)	सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी :—	Please inform me under RTI, 2005 the date by which the orders relating to my following claims shall be issued, (I) Notional promotion to SE w.e.f. 06-07-1995 (II) Promotion to CE (T&D) CC as on 15-03-2002 (III) Modification of Retirement order suitably (IV) Granting 2nd HPS of ACE w.e.f. 06-07-1995 and (V) Payment of interest on arrears,	
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी की अपील व कारण :—	मेरे पत्र दिनांक 06.10.2023 के द्वारा मांगी गई जानकारी देने के बदले 'मांगी गई जानकारी' को ही काल्पनिक बता कर मात्र भ्रमित व गुमराह करने की कोशिश की गई है, एवं अनावश्यक रूप से आदेश दिनांक 27.12.2021 एवं 06.07.2022 की प्रति उपलब्ध करायी गई है, जिसे मैने मांगी ही नहीं थी।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि :—	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :—
		15.12.2023	जनसूचना अधिकारी एवं संबंधित प्रभाग के **DPIO** उप महाप्रबंधक (मा.सं.)—एक, तथा अपीलार्थी उपस्थित हुए। तीनों के तर्क /कथन ग्रहण उपरांत अपील में सुनवाई सम्पन्न की गई।
(IV)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही तथा तर्क :—		तालिका (I) में उल्लेखित जानकारी उप महाप्रबंधक (मा.सं.)—एक, के नियंत्रण एवं प्रभार में होने के कारण धारा 5(5) के अनुसार सहायता ली गई। अतएव प्राप्त सूचना के आधार पर अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि के भीतर पत्र क्रमांक 5664 दिनांक 02.11.2023 के माध्यम से कुल 04 पृष्ठों की जानकारी उपलब्ध करायी गई है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में भविष्य की तिथि संबंधी प्रश्न किया गया है के संबंध में लेख है कि भारत सरकार, कार्मिक लोक

			शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन कमांक 01/18/2011 आई.आर.– दिनांक 16.09.2011 के अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना, काल्पनिक प्रश्न का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं है। इस संबंध में लेख है कि पूर्व में आपको सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन के संबंध में उक्त विषयवस्तु की कार्यालयीन नोटशीट एवं आदेश की प्रति 09 पृष्ठों में इस कार्यालय के पत्र कमांक 01–01/ज.सू.अ./102/2022/2539 दिनांक 05.12.2022 के द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है (संबंधित आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है)। अतः अपीलार्थी का अपील कथन तर्कसंगत नहीं है।

(3) – उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत प्रकरण में जनसूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर जो कार्यवाही की गई है वह तर्कसंगत है।

प्रकरण के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी प्रमुखतः इस तथ्य से व्यथित है कि तालिका (IV) में जनसूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी से वह संतुष्ट नहीं है। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी का अपील तर्क की जनसूचना अधिकारी द्वारा मेरे द्वारा वांछित जानकारी के संबंध में काल्पनिक प्रश्न का हवाला देते हुए भ्रमित व गुमराह जानकारी प्रदान कराया गया है। अतः वांछित जानकारी उन्हे उपलब्ध करायी जाये।

जैसा कि जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पूर्व में सूचनाधिकार के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन जो समान विषय वस्तु के संबंध में था के दृष्टिगत कार्यालयीन नोट शीट एवं आदेश की प्रति 09 पृष्ठो में पत्र कमांक 2539 दिनांक 05.12.2022 के द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में भविष्य की तिथि संबंधी प्रश्न किया गया है, जो काल्पनिक है। अतः भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन संख्या कमांक 01/18/2011 आई.आर.– दिनांक 16.09.2011 के अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृज़ित करना, काल्पनिक प्रश्न का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं है। अपितु अपीलार्थी को उनके शंका के उचित समाधान तथा वांछित जानकारी के स्पष्टताः हेतु जनसूचना अधिकारी द्वारा जो 04 पृष्ठों की जानकारी उपलब्ध करायी गई है, वह न्याय संगत है जो उचित है।

उल्लेखित तथ्यों के आधार पर कंड़िका (IV) में जनसूचना अधिकारी द्वारा कृत कार्यवाही स्वीकार है। जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतएव तदनुसार दर्ज अपील समाप्त कर, नस्तीबद्ध किया जाता है।

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक– 0771–2574700

प्रतिलिपि :–(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)– दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर।
(2) उप महाप्रबंधक (मा0सं0)– एक, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर ।
(3) श्री जी. एस. प्रशांत, (Retd.) SE, छ.रा.वि.मं. रायपुर, ए– 01, राजीव नगर, रायपुर (छ.ग.), पिन– 492004।
(4) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर–उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव, छ0 ग0 राज्य सूचना आयोग, नवा रायपुर, अटल नगर